निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

12 फाल्गुन 1930 (श0)
(सं0 पटना 52) पटना, मंगलवार, 3 मार्च 2009

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

अधिसूचनाएं
24 फरवरी 2009

सं0–15 / बि0स0से0–02–04 / 2008 का0–630–बिहार सचिवालय सेवा अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम 3, 2008) की धारा–19 की उपधारा (2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संवर्ग नियंत्री प्राधिकार (कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग), बिहार सचिवालय सेवा के सहायक ग्रेड में, उक्त अधिनियम की धारा–12 के आलोक में, विभागीय परीक्षा और टंकण यंत्र एवं कम्प्यूटर से टंकण की सक्षमता जाँच परीक्षा के लिए निम्नांकित विनियमावली बनाते हैं–

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ।– (1) यह विनियमावली **"बिहार सचिवालय सेवा (सहायक ग्रेड विभागीय परीक्षा) विनियमावली, 2008"** कही जा सकेगी।

(2) यह तुरत प्रवृत होगी।

2. परिभाषाएँ।– जबतक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस विनियमावली में–

(i) 'सेवा' से अभिप्रेत है बिहार सचिवालय सेवा;

(ii) 'अधिनियम' से अभिप्रेत है बिहार सचिवालय सेवा अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम 3, 2008);

(iii) 'नियमावली' से अभिप्रेत है बिहार सचिवालय सेवा नियमावली, 2008;

(iv) 'राजस्व पर्षद' से अभिप्रेत है बिहार राज्य सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का संलग्न राजस्व पर्षद का कार्यालय; तथा

(v) इस विनियमावली में प्रयुक्त अन्य शब्दों या संदर्भों, जिन्हें इसमें परिभाषित नहीं किया गया है, का वही अर्थ होगा जो बिहार अधिनियम 3, 2008 तथा बिहार सचिवालय सेवा नियमावली, 2008 में परिभाषित है।

3. विभागीय परीक्षा।– सेवा के सहायक ग्रेड में परिवीक्षा पर नियुक्त व्यक्ति के लिए विभागीय परीक्षा का संचालन राजस्व पर्षद द्वारा किया जायेगा। परिवीक्षा पर नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति को प्रशिक्षण कार्यक्रम के सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद विभागीय परीक्षा तथा टंकण एवं कम्प्यूटर सक्षमता जाँच में उत्तीर्णता प्राप्त करनी होगी। विभागीय परीक्षा तथा टंकण एवं कम्प्यूटर सक्षमता जाँच का आयोजन प्रत्येक वर्ष में दो बार किया जायेगा।

4. विभागीय परीक्षा का पाठ्यक्रम।– विभागीय परीक्षा में तीन पत्र निम्नलिखित के अनुसार होंगे–

—